संख्या-78/2018/110रासनि/23-1-18-23रासनि/18

प्रेषक,

डा0 राज शेखर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद अलीगढ़ में शारदा इण्स्ट्रीयल कॉम्पलैक्स से बरौला जाफराबाद धर्मशाला तक मार्ग के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2581(58)समग्र वृत्त/2017-18, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन/प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद अलीगढ़ में शारदा इण्स्ट्रीयल कॉम्पलैक्स से बरौला जाफराबाद धर्मशाला तक मार्ग के कार्य** हेतु **लागत रू0 68,20,000/- (रूपये अड़सठ लाख बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से **रू0 68,20,000/- (रूपये अड़सठ लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	अलीगढ़	शारदा इण्स्ट्रीयल कॉम्पलैक्स से बरौला जाफराबाद धर्मशाला तक मार्ग का कार्य।	0.800	68.20	68.20

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में टान्सफर इंटी डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें । प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-5054**-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(डा0 राज शेखर)
विशेष सचिव ।

संख्या- रासनि(1)/23-1-18, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11.. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in